(200)

न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

निगरानी प्रं.क्र.   /2011-12

R-584-II/12

1- रामसिपाही कुशवाहा तनय रामलाल कुशवाहा उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट असरार तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना (म.प्र.)

2- भगवानदास कुशवाहा तनय रामलाल काछी उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट असरार तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना (म.प्र.) .... निगराकारगण

बनाम

1- रामस्वरूप कुशवाहा तनय रामलाल काछी उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट असरार तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना (म.प्र.)

2- रामलाल काछी तनय छकौड़ी काछी उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट असरार तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना (म.प्र.)

3- मध्य प्रदेश शासन .... गैर निगराकारगण

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं.।

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर महोदय सतना जिला सतना म.प्र. द्वारा रामसिपाही बनाम् रामस्वरूप प्रकरण क्र.-130/निग./2011-12 मे पारित आदेश दिनांक 24.01.12 ।

6/02/2012

मान्यवर,

7.3.12

निगराकारगण की ओर से निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत है :-

1- नायब तहसीलदार प्रभारी वृत्त चोरहटा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म.प्र. के समक्ष राजस्व प्रकरण क्रमांक-10A6/2010-11 वास्ते नामान्तरण गैर निगराकार क्र.-1 द्वारा गैर निगराकार क्र.-2 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। निगराकारगण प्रकरण के हितबद्ध पक्षकार है और उक्त प्रकरण की जैसे-जैसे जानकारी हुई, उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत किया और पक्षकार बनाए जाने का निवेदन किया, तब तहसील न्यायालय द्वारा आपत्तिकर्ता के रूप मे पक्षकार बनाया गया। निगरानी मे आगे तहसीलदार प्रभारी वृत्त चोरहटा तहसील रामपुर बघेलान को अधीनस्थ न्यायालय, गैर निगराकार क्रमांक-1 को आवेदक, गैर निगराकार क्र.-2 को अनावेदक तथा निगराकारगण को आपत्तिकर्तागण शब्द से संबोधित किया जाएगा।

6-2-12

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.584–II/12 जिला–सतना

रामसिपाही कुशवाहा/रामस्वरूप कुशवाहा

(1)	(2)	(3)
25.05.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. अनावेदक क्रमांक 1, 2 की ओर से श्री प्रदीप त्रिपाठी एडवोकेट उपस्थित। 4. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 5. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	N.F 25-5-2017